न्यायमूर्ति अनीता चौधरी के समक्ष

कमलजीत *सिंह-अपीलकर्ता*

बनाम

यूटी, चंडीगढ़-उत्तरदाता

2005 का सीआरएलए नंबर 12-एसबी

अक्टूबर 10, 2013

भारतीय दंड संहिता, 1860-एसएस 10 7,306- 'दुष्प्रेरण'- 'आत्महत्या' - अपीलकर्ताओं के सहयोगी ने आत्महत्या की - सुसाइड नोट में उन्हें दोषी ठहराया - अपीलकर्ताओं ने आईपीसी की धारा 306 के तहत अपराध के लिए मुकदमा चलाया - ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया - अपील दायर की गई - मृतक को आत्महत्या करने के लिए उकसाने या उकसाने के लिए अभियुक्त के उकसाने के इरादे के अवयवों को आकर्षित करने के लिए आवश्यक है - अपील की अनुमति - अपीलकर्ता बरी हो गया।

अभिनिर्धारित किया गया कि उकसाने के अवयवों को आकर्षित करने के लिए, मृतक को आत्महत्या करने के लिए उकसाने या उकसाने का अभियुक्त का इरादा आवश्यक है, यह देखना होगा कि क्या अभियोजन पक्ष

यह दिखाने में सक्षम था कि क्या आसानी भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत आएगी। पहले संबंधित प्रावधानों का संदर्भ दिया जाना चाहिए।

(पैरा 11)

अभिनिर्धारित गया कि उकसाने में किसी व्यक्ति को उकसाने की एक मानसिक प्रक्रिया होती है और सहायता के लिए अभियुक्त की ओर से एक सकारात्मक कार्य होना चाहिए और यदि ये मौजूद हैं तभी दोषसिद्धि को बनाए रखा जा सकता है।

(पैरा 13)

अभिनिर्धारित किया गया कि सुसाइड नोट को पढ़ने से पता चलता है कि भिंडर सिंह तनाव में था। उनके द्वारा दिया गया कारण यह था कि उन्हें कमलजीत सिंह द्वारा बिना कोई विवरण दिए परेशान किया गया था। आत्महत्या का कारण बताता है कि व्यक्ति उदास था और उसे खुद का डर था। दुष्प्रेरण के तत्व वर्तमान सहजता में अनुपस्थित हैं।

(पैरा 15)

अभिनिर्धारित किया गया, कि रिकॉर्ड पर सामग्री की समग्रता और आसानी के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक अकाट्य निष्कर्ष निकाला जाएगा और यह मृतक है और कोई भी उसकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं था। सुसाइड नोट केवल पीड़ा व्यक्त करते हैं। मृतक को द्वेष था कि उसके साथ अन्याय हुआ है। धारा 306 आई पीसी के तहत आरोप बरकरार नहीं रह सकता था। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ऐसा कोई कार्य या प्रत्यक्ष कार्य था जिसके कारण मृतक ने यह देखते हुए आत्महत्या कर ली कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था।

(पैरा 16)

बलदेव सिंह, अपीलकर्ता के लिए सुधीर शन्ना, एडवोकेट के साथ सीनियर एडवोकेट, (2005 के सीआरए नंबर एस-12-एसबी में)

ए.पी.एस. देओल, विशाल रतन लांबा के साथ सीनियर एडवोकेट, अपीलकर्ता के वकील

अनिता चौधरी, न्यायमूर्ति

1. ये अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, चंडीगढ़ द्वारा पारित दिनांक 15.12.2004 के दोषसिद्धि के निर्णय और सजा के आदेश से उत्पन्न दो अपीलें हैं, जिन्होंने सेक्टर 39, चंडीगढ़ के साथ पुलिस स्टेशन आपराधिक अपील संख्या 12-एसबी ऑफ 2005 (ओ एंड एम) में धारा 306/34 आईपीसी के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 244 दिनांक 15.06.2000 में दोनों अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया था । दोनों अपीलकर्ताओं को तीन साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और प्रत्येक पर 5000/- रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें छह माह का और कठोर कारावास भुगतना होगा।

2. भिंडर सिंह (मृतक) गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, चंडीगढ़ में क्लर्क थे। वह 14.06.2000 को ड्यूटी पर गया लेकिन घर नहीं लौटा। परिजनों ने उसकी तलाश की। अगले दिन, वे उसकी तलाश में उसके कार्यालय में आए। दुकान और कमरे अंदर से बोल्ट पाए गए। अस्पताल के कुछ डॉक्टरों की मौजूदगी में दरवाजा तोड़ा गया

और भिंडर सिंह का शव नीचे की ओर मुंह किए पड़ा मिला। उसकी पगड़ी कुछ दूरी पर पड़ी थी। भिंडर सिंह को उल्टी हुई थी और नाक में खून की बूंदें मिली थीं। डॉक्टरों ने उसकी नब्ज को महसूस किया और उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को बुलाया गया और कमरे की तलाशी ली गई। मेज के एक दराज से उन्हें सुसाइड नोट और एक डायरी मिली, जिसमें एक और सुसाइड नोट था। सुसाइड नोट लिखने वाले ने स्टोर कीपर कमलजीत सिंह और एक अन्य कर्मचारी बीपी मिश्रा पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था कि उसे अपनी जान लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक नोट में, भिंडर सिंह ने उल्लेख किया कि उन्हें लेख सौंपे बिना चार्ज रिपोर्ट लेने पर अपने हस्ताक्षर संलग्न करने के लिए मजबूर किया गया था।

3. सुसाइड नोट के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी। मृतक के मोजे से एक और सुसाइड नोट बरामद हुआ है। केमिकल एग्जामिनर से रिपोर्ट मिलने पर पता चला कि भिंडर सिंह ने एल्युमिनियम फॉस्फेट का सेवन किया था।

4. जांच पूरी होने के बाद दोनों अपीलकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 के तहत चालान तैयार किया गया , जिसमें उन्होंने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमे का सामना करने का दावा किया।

5. अभियोजन पक्ष ने डॉ. एन. के. अरोड़ा - PW1, भाग सिंह - PW4 जो अभियोजन पक्ष के मुख्य गवाह हैं, डॉ. कृष्ण विग - PW7, डॉ. डी. के. पाठक - PW8, कुलदीप सिंह - PW10 और SI बलदेव सिंह - PW14 से पूछताछ की। लिखावट विशेषज्ञ श्री टी. जोशी-पीडब्लू 12 की रिपोर्ट एक्स.पी.41 और एक्स.पी.42 भी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की गई।

डॉ. डी. के. पाठक - पीडब्लू 8 ने भिंडर सिंह मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया था और निम्नलिखित राय नोट की गई थी: -

"श्रोणि के दाईं और बाईं ओर हरे रंग का पैच, नाखून कुटिल, चेहरा गहरे रंग का और सूजा हुआ। नाक से खून बह रहा था। चोट का कोई बाहरी निशान नहीं था। खोपड़ी खोपड़ी और कशेरुक और मस्तिष्क और दीवारें पसलियों और उपास्थि, बहुवचन गुहाएं स्वरयंत्र और श्वासनली, फेफड़े, हृदय, पेरिटोनियम, मुंह, ग्रसनी और अन्नप्रणाली, बड़ी आंत, मूत्राशय, बाहरी जननांग बालक हैं। पेट और इसकी सामग्री, छोटी आंत, यकृत, प्लीहा और गुर्दे को रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा गया था। मौत और पोस्टमॉर्टम के बीच का समय 24 से 26 घंटे था।"

प्रश्नगत दस्तावेजों के सरकारी परीक्षक के कार्यालय से टी. जोशी - पीडब्लू 12 के साथ 2005 की आपराधिक अपील संख्या 12-एसबी, शिमला ने भिंडर सिंह के स्वीकृत हस्ताक्षर के साथ सुसाइड नोट पर लिखावट की तुलना की थी और उसकी रिपोर्ट पूर्व पी 41 के साथ-साथ राय एक्सपी 42 को साबित किया था।

6. सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज बयान में आरोपी बीपी मिश्रा ने झूठा आरोप लगाया और कहा कि उन्हें आरोप देने और लेने से कोई लेना-देना नहीं है और न ही उन्होंने इस विषय पर भिंडर सिंह से बात की थी और उन्होंने केवल रिपोर्ट को प्रमाणित किया था और उन्हें वहां तैनात नहीं किया गया था और 31.05.2000 को उनका तबादला कर दिया गया था और उन्हें 06.06.2000 को कार्यालय से मुक्त कर दिया गया था और उन्होंने अस्पताल में काम करना शुरू कर दिया था 08.06.2000 से स्टोर करें।

आरोपी कमलजीत ने दलील दी कि उसने बीपी मिश्रा की देखरेख में 19.05.2000 को पूरा चार्ज सौंप दिया था और स्टॉक की गिनती 19.05.2000 को पूरी हो गई थी और बीपी मिश्रा आरोप रिपोर्ट सौंपने आए थे।

7. बचाव में उन्होंने लछमन सिंह-डीडब्ल्यू 1 से पूछताछ की थी। उन्होंने बीपी मिश्रा से संबंधित समन रिकॉर्ड लाया और गवाही दी कि उन्होंने 06.06.2000 को कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया था और उन्होंने 05.6.2000 को दोपहर के बाद कॉलेज भवन परिसर से स्टोर अधिकारी के पद से प्रभार त्याग दिया था। उन्होंने कहा कि आरोपी 2005 की आपराधिक अपील संख्या 12-एसबी (ओ एंड एम) नहीं था, जिस विभाग में भिंडर सिंह 14.06.2000 को सेवारत था।

मेडिकल कॉलेज, सेक्टर 32, चंडीगढ़ में स्टोर ऑफिसर नरिंदर कुमार हंस - डीडब्ल्यू 2 ने पूर्व डीएच पर बीपी मिश्रा के हस्ताक्षर की पहचान की।

अश्विनी कुमार, क्लर्क - डीडब्ल्यू 3 ने कहा कि उन्होंने कमलजीत सिंह और भिंडर सिंह को आरोप को लेकर झगड़ा करते नहीं देखा है और न ही स्टॉक में किसी अनियमितता के बारे में या हैंडओवर चार्ज रिपोर्ट में कोई शिकायत की गई है। उसने बताया कि वह अस्पताल के स्टोर में फेलो क्लर्क था।

जतिंदर सिंह कोहली डीडब्ल्यू 4 ने आरोपी कमलजीत सिंह का सेवा रिकॉर्ड लाया जो 30.05.1997 को क्लर्क के रूप में सेवा में शामिल हुआ। रिकॉर्ड में कमलजीत के सर्विस रिकॉर्ड में किसी दाग का संकेत नहीं दिया गया है।

8. ट्रायल कोर्ट ने सबूतों को स्वीकार किया और दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें यहां पहले उल्लिखित सजा सुनाई।

9. मैंने दोनों पक्षों की ओर से की गई प्रस्तुतियों को सुना है और उनकी सहायता से सबूतों पर विचार किया है।

10. अपीलकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया था कि भिंडर सिंह ने 06.06.2000 को कमलजीत सिंह, स्टोर कीपर से प्रभार लिया था और अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप थे कि दोनों अपीलकर्ताओं ने 2005 (ओ एंड एम) की आपराधिक अपील संख्या 12-एसबी को आत्महत्या के लिए उकसाया था। यह आग्रह किया गया था कि अभियोजन पक्ष यह दिखाने के लिए कोई सबूत पेश करने में विफल रहा था कि स्टॉक में कोई अनियमितता थी और यह केवल तभी हो सकता है जब कोई कमी हो और अन्यथा नहीं। यह आग्रह किया गया था कि उन्होंने यह दिखाने के लिए सबूत दिए हैं कि स्टॉक की कोई अनियमितता और भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था और रिपोर्ट उपलब्ध है और अपीलकर्ताओं के पास आत्महत्या में सहायता करने या उकसाने का कोई कारण नहीं था। यह आग्रह किया गया था कि अपीलकर्ताओं में से एक ने पहले ही प्रभार छोड़ दिया था और दूसरे पद पर शामिल हो गया था और आत्महत्या का कारण कुछ घरेलू विवाद हो सकता है। यह आग्रह किया गया था कि धारा 306 आईपीसी के तहत एक मामले में सफल होने के लिए, अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि इस मामले में उकसाने, सहायता या उकसाने या गोडिंग थी जो इस मामले में गायब है। यह फिर से आग्रह किया गया कि वरिष्ठ अधिकारियों को कोई शिकायत नहीं थी कि भिंडर सिंह अपीलकर्ताओं के हाथों उत्पीड़न का सामना कर रहे थे और मामले की बहुत तथ्यात्मक नींव इतनी कमजोर है। यह आग्रह किया गया था कि सुसाइड नोट में कोई आरोप नहीं था कि अपीलकर्ताओं ने उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था और वे यह भी विवाद कर रहे थे कि सुसाइड नोट मृतक के हाथ में थे। यह आग्रह किया गया था कि पूर्व महानिदेशक यह दिखाएंगे कि सरकारी मेडिकल

कॉलेज के निदेशक प्राचार्य के निर्देशों पर किए गए भौतिक सत्यापन के परिणामस्वरूप कोई अनियमितता नहीं पाई गई थी और इस बात का कोई सबूत नहीं था कि अपीलकर्ताओं ने कोई जानबूझकर कार्य किया था या मृतक को 2005 की आपराधिक अपील संख्या 12-एसबी (ओ एंड एम) के लिए उकसाया था, जिसमें आत्महत्या और आत्महत्या का पैटर्न अलग है और यह हो सकता है कि वह अति संवेदनशील था और सुसाइड नोट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे दूर से भी आईपीसी की धारा 306 के तहत अपराध के रूप में देखा जाएगा । मदन मोहन सिंह बनाम गुजरात राज्य और अन्य, [1]संजू @ संजय सिंह सेंगर बनाम मध्य प्रदेश राज्य[2], नेताई दत्ता बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [3] और गंगुला मोहन रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य पर भरोसा किया गया था[4]

दूसरी ओर, राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने फैसले का समर्थन किया और आग्रह किया कि सुसाइड नोट दराज से बरामद किए गए थे और उन्हें भिंडर सिंह की लिखावट के साथ तुलना के लिए भेजा गया था जो कार्यालय में उपलब्ध था और अभियोजन पक्ष के पक्ष में एक रिपोर्ट है और कुलदीप सिंह पीडब्लू 10 ने कहा था कि वह मृतक के लेखन और सुसाइड नोट के तरीके से परिचित था छोड़ दिया गया है, भिंडर सिंह पर जबरदस्त दबाव दिखाएं जिसने उसे अपनी जान ले ली।

11. उकसाने के अवयवों को आकर्षित करने के लिए, अभियुक्त का इरादा मृतक को आत्महत्या करने के लिए उकसाने या उकसाने का होना आवश्यक है। यह देखना होगा कि क्या अभियोजन पक्ष यह दिखाने में सक्षम था कि क्या 2005 की आपराधिक अपील संख्या 12-एसबी (ओ एंड एम) के साथ मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत आएगा । पहले संबंधित प्रावधानों का संदर्भ दिया जाना चाहिए। धारा 306 आईपीसी और धारा 107 आईपीसी निम्नानुसार पढ़ें: –

आत्महत्या का दुष्प्रेरण:- यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो जो कोई ऐसी आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

107- किसी बात का दुष्प्रेरण - कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए उकसाता है, जो-

पहला - किसी भी व्यक्ति को उस काम को करने के लिए उकसाता है; या दूसरा - उस चीज को करने के लिए किसी साजिश में एक या एक से अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ संलग्न होना, यदि उस साजिश के अनुसरण में कोई कार्य या अवैध चूक होती है, और उस पतले के करने के लिए; या तीसरा - जानबूझकर किसी भी कार्य या अवैध चूक से, उस काम को करने में सहायता करता है।

स्पष्टीकरण 2 जिसे धारा 107 के साथ जोड़ा गया है , निम्नानुसार पढ़ता है:

स्पष्टीकरण 2 - जो कोई, किसी कार्य के किए जाने से पहले या उसके समय पर, उस अधिनियम के कमीशन को सुकर बनाने के लिए और उसके द्वारा उसके कमीशन को सुकर बनाने के लिए कुछ करता है, वह उस कार्य के करने में सहायता करने के लिए कहा जाता है"

[1] 2010 (4) आरसीआर (सा.रा.) 207 एससी
[2] 2002(2) आरसीआर (सीआरएल) 687
[3] 2005(2) एससीसी 659
[4] 2010 (1) आरसीआर (सा.रा.) 605 एससी

12. रमेश कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य[5] में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास आत्महत्या के एक मामले से निपटने का अवसर था जहां पति ने कुछ शब्द कहे हैं और 2005 की आपराधिक अपील संख्या 12-एसबी (ओ एंड एम) के साथ, पत्नी ने आत्महत्या कर ली। निर्णय के पैरा 20 में, न्यायालय ने उकसावे को दिए गए अर्थ के विभिन्न रंगों की जांच की है जो इस प्रकार है: -

""उकसाना" एक कार्य करने के लिए उकसाना, आगे बढ़ना, उकसाना, उकसाना या प्रोत्साहित करना है। उकसाने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, हालांकि यह आवश्यक नहीं है कि वास्तविक शब्दों का उपयोग उस प्रभाव के लिए किया जाना चाहिए, या जो उकसाने का गठन करता है, वह आवश्यक रूप से और विशेष रूप से परिणाम का विचारोत्तेजक होना चाहिए। फिर भी परिणाम को उकसाने के लिए एक उचित निश्चितता को स्पष्ट करने में सक्षम होना चाहिए। वर्तमान मामला ऐसा नहीं है जहां अभियुक्त ने अपने कृत्यों या चूक से या निरंतर आचरण से ऐसी परिस्थितियां पैदा की हों कि मृतक के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था, जिस स्थिति में उकसाने का अनुमान लगाया जा सकता था। क्रोध या भावना के फिट में बोले गए शब्द को वास्तव में पालन करने के लिए उकसाना नहीं कहा जा सकता है।"

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम ओरीलाल जैसल और अन्य मामले में [6]माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चेतावनी दी है कि न्यायालय को प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का आकलन करने में अत्यंत सावधान रहना चाहिए और 2005 की आपराधिक अपील संख्या 12-एसबी (ओ एंड एम) में पेश किए गए साक्ष्य का आकलन इस उद्देश्य से करना चाहिए कि क्या पीड़िता के साथ की गई क्रूरता ने वास्तव में उसे आत्महत्या करके जीवन समाप्त करने के लिए प्रेरित किया था। यदि न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि आत्महत्या करने वाला पीड़ित सामान्य क्षुद्रता, कलह और घरेलू जीवन में अंतर के प्रति अतिसंवेदनशील था, जो उस समाज के लिए काफी सामान्य था जिससे पीड़ित संबंधित था और इस तरह की क्षुद्रता, कलह और मतभेद से किसी दिए गए समाज में एक समान रूप से परिस्थितिजन्य व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की उम्मीद नहीं थी, तो न्यायालय की अंतरात्मा को इस निष्कर्ष के आधार पर संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि आरोपी ने अपराध को उकसाने का आरोप लगाया है आत्महत्या का दोषी पाया जाना चाहिए।

13. उकसाने और उकसाने का अर्थ देखने के बाद, तत्काल मामले की जांच की जानी चाहिए। दुष्प्रेरण में, किसी व्यक्ति को उकसाने की एक मानसिक प्रक्रिया होती है और सहायता करने के लिए अभियुक्त की ओर से एक सकारात्मक कार्य होना चाहिए और यदि ये मौजूद हैं तभी दोषसिद्धि को बनाए रखा जा सकता है। वर्तमान मामले के तथ्यों को अब देखा जाना चाहिए। अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित मामला यह है कि भिंडर सिंह ने कुछ सुसाइड नोट छोड़े थे जो उनके कार्यालय के दराज में पाए गए थे। पुलिस उसकी लिखावट पर हाथ नहीं रख सकती थी, लेकिन वे छुट्टी के आवेदन और अन्य दस्तावेजों पर उसके मूल हस्ताक्षर प्राप्त करने में सक्षम थे और पत्र और स्वीकार किए गए हस्ताक्षर हस्तलेखन विशेषज्ञ को भेजे गए थे। एक रिपोर्ट मिली थी कि हस्ताक्षर एक ही व्यक्ति के थे। उन्हें लिखावट में समानता मिली लेकिन विशेषज्ञों के साथ 2005 की आपराधिक अपील संख्या 12-एसबी (ओ एंड एम) ने पत्र के मुख्य भाग में लिखे शब्दों की तुलना नहीं की। यहां तक कि अगर यह माना जाता है कि नोटों पर

[5] 2001 (4) आरसीआर (आपराधिक) 537: (2001) 9 एससीसी 618
[6] 1994 (3) आरसीआर (आपराधिक) 186; (1994)1 एससीसी 73

लेखन भिंडर सिंह का था, तो अब यह देखा जाना चाहिए कि क्या आत्महत्या अपीलकर्ताओं द्वारा किए गए कृत्यों का परिणाम थी और क्या कोई उकसाना, उकसाना या उकसाना था।

आत्महत्या के मामले में, मेन्सरिया की उपस्थिति जांच का एक आवश्यक सहवर्ती है। सुसाइड नोट के अवलोकन से पता चलता है कि भिंडर सिंह के खिलाफ किसी भी अपमानजनक शब्द या अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया है। भींडर सिंह ने अपने परिवार को क्लीन चिट दे दी थी और वह कमलजीत सिंह के व्यवहार से परेशान था। इसमें केवल यह कहा गया है कि कमलजीत सिंह स्टोर कीपर ने उसे परेशान किया था और इसी आधार पर वह आत्महत्या कर रहा था और उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। भिंडर सिंह ने विवरण का खुलासा नहीं किया। एक पत्र में उन्होंने कहा था कि आरोप सौंपने और लेने की रिपोर्ट पर उनसे जबरन हस्ताक्षर कराए गए थे, हालांकि वास्तव में इसमें उल्लिखित लेख उन्हें सौंपे नहीं गए थे।

14. यह हो सकता है कि कुछ कमी थी और वह उसके दिमाग में वजन कर रहा था, लेकिन रिकॉर्ड पर सबूत हैं जो बताते हैं कि यह पता लगाने के लिए एक जांच की गई थी कि क्या स्टोर में कोई कमी थी, लेकिन यह पाया गया कि स्टोर में कोई कमी नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि भिंडर सिंह अति-संवेदनशील था। अपीलकर्ताओं में से किसी के साथ उनकी कोई पिछली दुश्मनी नहीं थी। 2005 की आपराधिक अपील संख्या 12-एसबी (ओ एंड एम) वरिष्ठों या अन्य अधिकारियों के संज्ञान में नहीं आई थी, न ही गालियों का कोई अपमान या आदान-प्रदान हुआ था या न ही ऐसा कोई तथ्य था। आत्महत्या आरोप संभालने और रिपोर्ट लेने के निकट नहीं थी। यह दिखाने के लिए सबूत हैं कि अपीलकर्ताओं में से एक को घटना से पहले ही स्थानांतरित कर दिया गया था और उसने 05.06.2000 की दोपहर को आरोप छोड़ दिया था।

15. सुसाइड नोट पढ़ने से पता चलता है कि भिंडर सिंह तनाव में था। उनके द्वारा दिया गया कारण यह था कि उन्हें कमलजीत सिंह द्वारा बिना कोई विवरण दिए परेशान किया गया था। आत्महत्या का कारण बताता है कि व्यक्ति उदास था और उसे खुद का डर था। वर्तमान मामले में दुष्प्रेरण के तत्व पूरी तरह से अनुपस्थित हैं।

16. रिकॉर्ड पर सामग्री की समग्रता और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह अप्रतिरोध्य निष्कर्ष की ओर ले जाएगा और यह मृतक है और कोई भी नहीं है जो उसकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार था। सुसाइड नोट केवल पीड़ा व्यक्त करते हैं। मृतक को द्वेष था कि उसके साथ अन्याय हुआ है। आईपीसी की धारा 306 के तहत आरोप बरकरार नहीं रह सकता था। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ऐसा कोई कार्य या प्रत्यक्ष कार्य था जिसके कारण मृतक ने यह देखते हुए आत्महत्या कर ली कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था।

17. कानून के प्रावधानों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की श्रृंखला द्वारा स्थापित कानूनी स्थितियों के आलोक में, यह माना जाता है कि दोनों अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है। नतीजतन, दोनों अपीलें 2005 की आपराधिक अपील संख्या 12-एसबी (ओ एंड एम) की अनुमति के साथ हैं। ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेश को रद्द कर दिया जाता है और अपीलकर्ताओं को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया जाता है और उनके जमानत बांड और ज़मानत बांड को छुट्टी दे दी जाती है। निचली अदालतों के रिकॉर्ड वापस भेजे जाएं।

जे.एस.महंदीरतता

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय, वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके, और किसी अन्य उद्देश्य के लिया इसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

रवि अमितोज़
प्रशिक्षु न्यायिक
अधिकारी